litigation in the Delhi High Court will be held up. The Judges are anxious.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): I have to take the sense of the House.

SHRI RAM JETHMALANI: It will not take more than ten minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): I have to take the sense of the House. If the House so permits, I can allow you. But I have a problem. I am one of the speakers. I am going to intervene in this Bill. You please wait for two minutes.

GOVERNMENT MOTION

Re: Thirtieth Report of the Commissioner for Schedules Castes and Scheduled Tribes for the Year 1989-91 Contd.

श्री राम नाथ कोविन्द (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, समाज का वह वर्ग जो सदियों से उपेक्षित और वंचित रहा, जिसको हमने अनुसूचित जाति और जनजाति की संज्ञा दी, इस वर्ग को समाज के दूसरे वर्गों के समकक्ष लाने के लिए संविधान में हमने आरक्षण का प्रावधान किया। वह आरक्षण विधायिका और सरकारी नौकरियों के लिए था। उपसभाध्यक्ष जी, पिछले कई वर्षों से इस आरक्षण के लाभ को निष्प्रभावी बनाने की साजिश चल रही है और उस साजिश का मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। तथाकथित सामाजिक न्याय का दावा करने वाली सरकार, यूनाइटेड फ्रंट सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 1997 में भारत सरकार के पर्सनल एवं ट्रेनिंग विभाग द्वारा 5 आॅफिस मेमोरेंडम जारी किये गये। यह आॅफिस मेमोरेंडम दिनांक 30 जुलाई, 1997, 2 जुलाई, 1997, 22 जुलाई, 1997, 13 अगस्त, 1997 और 29 अगस्त, 1997 को जारी किये गये। इन आॅफिस मेमोरेंडम्स के बारे में कल भी चर्चा हुई थी और दो तीन आॅफिस मेमोरेंडम्स पर विस्तृत चर्चा हुई थी। एक आॅफिस मेमोरेंडम दिनांक 13.8.97 को जारी किया गया। भारत की संसद् ने संविधान में 77वां संशोधन किया, उसके तहत आर्टिकल 16(4)(ए) को जोड़ा गया। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आर्टिकल 16(4)(ए) को उद्धृत करना चाहूंगा—

> "Nothing in this article shall prvent the State from making any provision for reservation in matters of promotion to any class or classes of posts...."

Sir, I lay emphasis on the words "any class or classes of posts".

> "....in the services under the State in favour of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes which in the opinion of the States, are not adequately represented in the services under the State."

सर, जो डी॰ओ॰पी॰टी॰ ने 13.8.97 को आफिस मेमोरेंडम जारी किया उसके माध्यम से उन्होंने कहा— Reservation in promotion shall be restricted only up to the lowest rung of Group 'A' services.

उपसभाध्यक्ष जी, संसद में जो एक हमने कानून बनाया उस कानून के बिल्कुल विपरीत उन्होंने यह मेमोरेंडम जारी किया। This Office Memorandum is not in consonance with the Cosntitution amendment which was passed by this House.

सर, एक कहावत है "मैन प्रोपोजेज एण्ड गाड डिसपोजेज"। लेकिन इस केस में तो ऐसा हुआ है कि "पार्लियामेंट प्रोपोजेज बट द ब्यूरोक्रेसी डिसपोजेज"। जो कुछ यहां पर किया गया उसके विपरीत यह कानून बना और उसके तहत आज स्थिति यह है कि प्रोमोशंस में आरक्षण पूरी तरह से बंद हो गया।

उपसभाध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था सिंडीकेट बैंक मैटर में दिनांक 10.8.90 को जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा था— Reservation has been made available for promotions for Group 'A' posts up to the highest level.

—इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के भी विपरीत यह मेमोरेन्डम है।

उपसभाध्यक्ष जी, इस देश में करीब 40 लाख अनुसूचित जाति और जनजातियों के कर्मचारी है जो कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि इस वर्ग के लोग अब जागरूक हो चुके हैं। इस वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाली जो एक संस्था है "आल इंडिया कंफेडरेशन आफ शड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड ड्यिूल्ड ट्राइब्स आर्गेनाइजेशंस, उनके बैनर के तहत मेजर सिटीज में रैलीज हुई—इन आफिस मेमोरेंडम के खिलाफ पिछले अभी 16 नवम्बर, 1998 को जिसमें करीब 2 लाख कर्मचारियों ने भाग लिया, दिल्ली में एक

बहुत बड़ी रैली आयोजित की। आज भी करीब पूरे भारत में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों में 20 लाख पद जो आरक्षित है अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए वे अभी तक नहीं भरे गए हैं।

महोदय, जो बात आती है सूटेबिलिटी और कंपीटेंसी की, मैं इस संबंध में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज इस वर्ग के लोग जिनको कि साढ़े 22 प्रतिशत होना चाहिए वे हाइएस्ट क्लास में केवल 8 से 10 प्रशितहै। दूसरे वर्गों के लोग 90 प्रतिशत हैं। यदि हम परफारमेंस रेशियो देखें तो इन 50 वर्षों में लोगों को जो मूल सुविधाएं है जैसे कि पेयजल, पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान, सिंचाई के साधन, चिकित्सा आदि, ये हम नहीं दे पाए हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं। 10 प्रतिशत जिम्मेदार है अथवा जो कि 90 प्रतिशत को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ग है ब्यूरोक्रेसी में वह जिम्मेदार है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वह 90 प्रतिशत जिम्मेदार है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि अभी तक हमने सभी दलों को आजमाया है केन्द्र सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी जुम्मा-जुम्मा 8 महीने पहले बनी है। इनको हमने पूरी तरह से आजमाया नहीं है। लेकिन लगता ऐसा है कि सरकार कोई भी आए लेकिन शासन तंत्र, ब्यूरोक्रेसी जो है वह वही रहती है। इसीलिए जो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, इस संसद की जो आवाज होती है इसका जो कानून होता है, इसकी जो बिल होती है वह पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। इसके लिए एक समाधान है और समाधान यह है कि जो ब्यूरोक्रेसी है— जो कि न तो पार्लियामेंट के लिए आन्सरेबुल है न किसी प्रकार से जिम्मेदार है वह जो चाहे करती है, इसलिए उस पर एक रोक लगे और रोक लगाने के लिए यह जरूरी है कि एक रिजरवेशन एक्ट बने जिसमें यह पूरा प्रावधान हो, कि जो भी इस आरक्षण के मामले में डिलिन्क्वेंसी पायी जाएगी, जो भी उदासीनता होगी। उसके लिए जो जिम्मेदार अधिकारी होगा उसको दंडित किया जाएगा। मैं सभी दलों से और शासन तंत्र को सावधान करना चाहता हूं कि इस वर्ग को इतना पीछे मत धकेलते जाइये कि इनमें एक बगावत का स्वर पैदा हो अथवा ये अपने लिए जो कि 1942 में एक अलग से देश को बंटवारे की बात उन्होंने की थी डा० अंबेदकर के नेतृत्व में, यह बात फिर दोबारा सामने न आए।

उपसभाध्यक्ष जी, जो एक स्पेशल, प्रोविज़न होना चाहिए बजट में जो कि यह साढ़े बाइस, अब तो पच्चीस प्रतिशत होने जा रहे हैं, इनके लिए बजट में एक स्पेशल प्रोविजन हो। मैं महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो पिछले साल बजट बनाया उसमें इन वर्गों के लिए एक विशेष प्रावधान रखा। इस प्रकार का प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस वर्ष किया है। यह उत्तर प्रदेश सरकार भी बधाई की पात्र है।

उपसभाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जन जाति एक आयोग बना है, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिएं, उनको जो अधिकार मिलने चाहिएं वे धीरे-धीरे काटे जा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, I extend my sincere appreciation to Shri H. Hanumanthappa who, as the Chairman during the last three years, put the working of the Commission on the right track.

और मैं यह चाहूंगा कि जो ह्यूमैन राइट्स कमीशन को अधिकार मिले हैं उसी तरीके से नेशनल कमीशन फार एस०सी० एस०टी० को भी मिलने चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, मैं अंतिम बात यह कहूंगा कि हमारे मित्र श्री गांधी आजाद जी ने एक बात कही थी उत्तर प्रदेश के मामले में कि वहां पर अनुसूचित जाति एवं जन जाति अत्याचार निवारण संबंधी जो कानून था उसमें कुछ हेर-फेर किया गया। उपसभाध्यक्ष जी, यह कानून भारतीय संसद् का कानून है, केन्द्र सरकार का कानून है। यदि इसमें कोई संशोधन कर सकता है तो वह केवल केन्द्र सरकार कर सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें आफिस मेमोरेंडम के तहत केवल ऐसा एक आदेश निकाला था कि जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि इसका सही मायने में उपयोग किया जाए, दुरूपयोग न किया जाए। ...**(व्यवधान)**

श्री गांधी आजाद: महोदय, मैंने यह नहीं कहा, हमने यह कहा कि उसका उपयोग ही नहीं, बल्कि उपयोग तो हो ही नहीं पा रहा था, यह कहा गया कि उपयोग के नाम ...**(व्यवधान)**

श्री राम नाथ कोविन्द: वह ऐसा नहीं कर सकते है। ...**(व्यवधान)**... यदि ऐसा उन्होंने किया होता तो उसको आप बहुत पहले कोर्ट में चैलेंज कर देते। ...**(व्यवधान)**

श्री कांशी राम: महोदय ...**(व्यवधान)**... किया था। वह जो उन्होंने जारी किया था उसके तहत हो सकता था और हुआ है। ...**(व्यवधान)**

श्री राम नाथ कोविन्द: उस केस में यदि आप कोर्ट में जाते तो मुझे लगता है शायद आपको न्याय मिल सकता था। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष जी, आपने जो हमें समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कांशी राम: उपसभाध्यक्ष जी, कोर्ट में हम गए है। हमारे एम०एल०ए० जो बी०जे०पी० ने खरीदे हैं उनके खिलाफ हम कोर्ट में गए हैं और कोर्ट ने भी बोला है कि और बैंच बैठायेंगे। लेकिन इसमें 5-7 साल लगायेंगे तब कहीं जाकर न्याय मिलेगा। कई साल हो गए हैं और कई साल और लगेंगे।

श्री राम नाथ कोविन्द: महोदय, ऐसा कोर्ट कभी नहीं कह सकती कि इस केस को हम 5-7 साल ...(**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JOHN F. FERNANDES): You have finished your speech. It was just a point of clarification... *(Interruptions)*... Now, I will allow the Minister of Urban Development. Later on you can speak.

Hon. Members, there is a small legal hitch. I request the House to suspend Rule 8, and if the House agrees, I request Shri Rahman Khan to take over a Presiding Officer.

[The Vice-Chairman (Shri K. Rahman Khan) in the Chair]

The Delhi Development Authority (Validation of Disciplinary-Powers) Bill, 1997

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): Mr. Vice-Chairman, I move for consideration of a very non-controversial Bill, The Delhi Development Authority (Validation of Disciplinary powers) Bill, 1997. Sir, I move:

> "That the Bill to provide for validation of disciplinary powers exercised by the Vice-Chairman and officers of the Delhi Development Authority, be taken into consideration."

Sir, this is one Bill which has become necessary as a result of technical defect, which was discovered in the Delhi High Court and Sir, the defect is that all DDA Employees can be removed from service or subjected to certain penalties which are normally inflicted on delinquent public servants, by the Central Government alone by virtue of some regulations of 1961 which existed and which were binding. But, Sir, in 1979 a notification had been issued under some other section which permitted delegation of powers. The DDA had delegated its powers to some officers like the Vice-Chairman. Now in issuing this notification, it was forgotten that under the section what can be delegated is the power of the DDA but what was forgotten was that the DDA while making the regulation of 1961 had conferred the powers of removal or punishment on the Central Government. The Central Government's powers could not be shifted or assigned to these officers. So when the matter reached the Delhi High Court, the Delhi High Court pointed it out and the Delhi High Court said, yes, this is technically invalid. Therefore, the difficulty is, there are several cased of some officers who had been punished with minor or major penalties between the period 22.11.79 when this notification was issued which has been declared *ultra vires,* and 1.3.94 when the position was regularised, after coming to know of the technical defect whatever has happened between the interregnum, during 1979—94 is sought to be validated. This Bill was considered by the Standing Committee. This Bill was prepared by the previous Government. It was introduced and, I am sorry to say, it has come after a long time. But now it has become a matter of great urgency because some litigations are also pending. Unless, Sir, this Bill is pased by both the Houses and becomes a law, those technical objections will continue to bedevil our litigation process. I sugggest that this is really non-controversial. I understand that there is only one Member who wanted to speak. I would reguest that the House may proceed to consider this and pass it.

The question was proposed.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): I took interest in speaking about this Bill because as the hon. Minister has rightly